"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल 2017— चैत्र 30 , शक 1939

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–29/2017/वा.कर(आब.)/पाँच (41). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) की धारा 62 उप–धारा (2) के खण्ड (घ–1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ महुआ नियम, 2017 कहलायेंगे।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे:
परंतु यह कि राज्य सरकार, कतिपय क्षेत्र या क्षेत्रों को, ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि राजपत्र में अधिसूचित किया जाये, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

2. **परिभाषाये.**–इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915);

(ख) "**अधिकृत अधिकारी**" से अभिप्रेत है आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अधिकृत अधिकारी;

(ग) "**प्ररूप**" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(घ) "**महुआ**"से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है महुआ वृक्ष के सूखे, गीले या हरे फूल;

(ङ) "**अनुज्ञप्ति**"से अभिप्रेत है इन नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञप्ति;

(च) **''अनुज्ञप्तिधारी''** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो;

(छ) **''पास''** से अभिप्रेत है इन नियमों के अन्तर्गत प्रदान किया गया पास;

(ज) **''अनुज्ञा''** से अभिप्रेत है इन नियमों के अन्तर्गत प्रदान की गई अनुज्ञा।

3. (1) कोई व्यक्ति, कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त पास के बिना, महुआ का निर्यात या आयात नहीं करेगा।

(2) सिवाय कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या पास के प्राधिकार के अन्तर्गत और शर्तों के अध्यधीन, कोई व्यक्ति या उसकी ओर से परिवार का प्रमुख या उसके परिवार के सदस्यों की ओर से, कुल 5 कि.ग्रा. से अधिक वजन का महुआ का परिवहन, क्रय, विक्रय नहीं करेगा या अपने कब्जे में नहीं रखेगा:

परन्तु यह कि इस उप–नियम में समाविष्ट कोई भी बात, निम्न को लागू नहीं होगी, यदि महुआ का कब्जा उस जिले के अन्दर है जिसमें वह रहता है, तब–

(क) ऐसा व्यक्ति या परिवार का प्रमुख जो महुआ का व्यापार नहीं करता और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है; या

(ख) ऐसा सद्भावपूर्वक कास्तकार जो महुआ के कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति धारित करता है, महुआ का व्यापार नहीं करता है और शहरी क्षेत्र में रहता है, ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा नियत करे;

परन्तु यह और कि ऐसे किसी क्षेत्र में जैसा कि राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित करें, प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के 15 फरवरी से 15 जून की अवधि के दौरान (जो इसमें इसके पश्चात् अवकाश अवधि के रुप में निर्दिष्ट है), महुआ की किसी भी मात्रा के लिए, जो उस क्षेत्र के और वर्ष की उपज होगी, परिवहन, क्रय, विक्रय या कब्जे के लिए कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या पास आवश्यक नहीं होगी:

परन्तु यह कि जब तक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अन्यथा निर्देश नहीं देती है, ऐसे क्षेत्र में से जिसमें अवकाश अवधि नहीं है या उस समय जब परिवहन किया जाता है उसके लिए अवकाश अवधि समाप्त हो गयी हो; किसी भी मात्रा के महुआ के रेल द्वारा परिवहन के लिए कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या पास आवश्यक नहीं होगा, बशर्ते कि–

(एक) उक्त महुआ परिवहन में उतारा नहीं जाएगा; और

(दो) उस स्थान में जहाँ से और जहाँ पर, यथास्थिति, उक्त महुआ भेजा जाता है या पहुँचता है वहाँ अवकाश अवधि है;

(ग) महुआ के कब्जे के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों का सदस्य या ऐसी जनजाति के परिवार के सदस्यों का प्रमुख,

स्पष्टीकरण——इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए——

(एक) ''परिवार'' से अभिप्रेत है एक घरेलू इकाई के सदस्य के रूप में संयुक्त रूप से भोजन करने वाले और रहने वाले व्यक्तियों का समूह;

(दो) 'ग्रामीण क्षेत्र'' से अभिप्रेत है कोई क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र नहीं है, और

(तीन) ''शहरी क्षेत्र'' से अभिप्रेत है नगरपालिक निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र या कन्टोनमेंट की सीमा के भीतर कोई क्षेत्र;

(चार) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी की गई अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित जनजाति।

4. उस व्यक्ति को, महुआ का कब्जा और बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकती है, जो इन नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए उचित पाया जाता है।

5. (1) महुआ का कब्जा और बिक्री के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति, कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) महुआ को कब्जे में रखने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों का समावेश किया जायेगा, अर्थात्:–

(एक) आवेदक का नाम और पता;

(दो) स्थान का सही पता जहाँ महुआ का भण्डारण या उपयोग किया जाएगा;

(तीन) महुआ की मात्रा जो आसवकों के मामले में प्रति वर्ष उपयोग के लिए आवश्यक होगी और अन्य व्यक्तियों के मामले में प्रति माह;

(चार) अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है;

(पांच) उपयोग या उपयोगों का विवरण जिसके लिए महुआ रखा जाएगा।

(3) महुआ की बिक्री की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों का समावेश किया जायेगा, अर्थात्:–

(एक) आवेदक का नाम और पता;

(दो) स्थान का सही पता जहाँ महुआ बिक्री के लिए रखा जाएगा;

(तीन) अनुज्ञप्त अवधि के दौरान बिक्री के लिए भंडारण किए जाने वाले महुआ की कुल मात्रा;

(चार) अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है;

(पांच) क्या आवेदक व्यापारी है या महुआ वृक्षों का स्वामी है।

6. (1) नियम 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों की पुष्टि के लिए जाँच करेगा और ऐसी अन्य जाँच करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे। यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि आवेदित अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, तो उप–नियम (2) के अन्तर्गत विहित की गई फीस के संदाय पर, आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

(2) उप–नियम (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में फीस नीचे विनिर्दिष्ट अनुसार होगाः–

(अ) महुआ के कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में फीस का मान निम्न प्रकार होगा, अर्थात्:–

(क) जब सद्भावपूर्वक औद्योगिक प्रयोजनों के लिए महुआ की आवश्यकता है– 1000/–

(एक) किसी कारखाने में जैसा कि फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 में परिभाषित है– 1000/–

(दो) किसी अन्य औद्योगिक व्यापार– 1000/–

(तीन) जब सद्भावपूर्वक वैज्ञानिक कृषि, शैक्षणिक या औषधीय प्रयोजनों के लिए महुआ की आवश्यकता है– 500/–

(ख) जब सद्भावपूर्वक घरेलू उपयोग के लिए महुआ की आवश्यकता है, जैसे कि भोजन या पशुचारा– 1000/–

(ग) (एक) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वैधानिक रीति से एकत्रित या खरीदी गई कुल 500 क्विंटल महुआ की बिक्री के लिये प्रतिवर्ष फीस 10,000/– होगा; और

(दो) महुआ के कब्जे के लिये, अनुज्ञप्ति प्ररूप 1 में होगी और उसकी बिक्री के लिये, अनुज्ञप्ति प्ररूप 2 में होगी।

(3) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऐसे स्थान में महुआ नहीं रखेगा जो उसकी अनुज्ञप्ति में उल्लिखित न हो।

7. नियम 6 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पूर्व, कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी, ऐसी जाँच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् महुआ की अधिकतम सीमा निश्चित करेगा जो अनुज्ञप्तिधारी रख सकेगा, अर्थात्:–

(एक) अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि के दौरान या किसी एक समय; और

(दो) किसी माह के दौरान आसवन में उपयोग को छोड़कर, सद्भावपूर्वक उपयोग के लिए महुआ को कब्जा रखने के लिए प्रदान की जाने वाली अनुज्ञप्ति की स्थिति में।

8. प्रत्येक अनुज्ञप्ति, अप्रैल के प्रथम दिन से चालू होने वाले और आगामी मार्च के 31वें दिन को समाप्त होने वाले एक वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी और उसके बाद प्रत्येक अवसर पर, एक वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है:

परन्तु यह कि इन नियमों के अन्तर्गत प्रथम बार प्रदान की गई अनुज्ञप्ति, अप्रैल के प्रथम दिन से आगामी 31 मार्च तक, जैसा कि नियम 6 में विहित है, पूर्ण फीस के संदाय पर किसी भी समय दी जा सकती है:

परन्तु यह और कि महुआ के कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति, एक वर्ष से कम अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है या नवीनीकरण की जा सकती है, जैसा कि कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी उचित समझे।

9. महुआ की खरीदी और परिवहन के लिए कोई अनुज्ञा किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जब तक कि वह व्यक्ति महुआ के कब्जा और बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति धारित नहीं करता है।

10. कोई भी व्यक्ति जो महुआ की खरीदी की इच्छा करता है, उस स्थान के कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को, जहाँ महुआ खरीदा जाना है, ऐसे महुआ की खरीदी करने की अनुज्ञा के लिए, आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों का समावेश किया जायेगा, अर्थात्:–

(एक) आवेदक का नाम, आयु और पता;

(दो) क्या आवेदक महुआ के कब्जे या बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति धारित करता है और अनुज्ञप्ति क्रमांक और स्थान, जिसके सम्बन्ध में ऐसी अनुज्ञप्ति धारित है।

(तीन) खरीद किए जाने वाले महुआ की मात्रा;

(चार) उस व्यक्ति का नाम और पता, जिससे महुआ खरीदा जाना है;

(पांच) मार्ग, जिससे महुआ परिवहन किया जाएगा;

(छः) अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा का वैध होना आवश्यक है; और

(सात) स्थान, जहाँ महुआ खरीदी के बाद परिवहन किया जाएगा।

11. (1) नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी, आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों की पुष्टि के लिए जाँच करेगा और ऐसी भी जाँच करेगा जैसा कि वह उचित समझे। यदि कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आवेदित अनुज्ञा प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है तो रुपये 100/– फीस के भुगतान किये जाने पर, प्ररूप 3 में ऐसी अनुज्ञा प्रदान करेगा।

(2) अनुज्ञा में चार भागों का समावेश होगा, जो निम्न प्रकार बांटे जाएंगे :–

भाग 1 अनुज्ञा जारी करने वाले अधिकारी के अभिलेख में रखा जाएगा।
भाग 2 आवेदक को दिया जाएगा।
भाग 3 उस स्थान के आबकारी अधिकारी को भेज दिया जाएगा जहाँ खरीदी के बाद महुआ को परिवहन किया जाना है।
भाग 4 उस खरीददार को भेज दिया जाएगा जिससे महुआ खरीदा जाना है।

12. महुआ परिवहन करने की इच्छा करने वाला कोई व्यक्ति, कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को महुआ परिवहन करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों का समावेश किया जायेगा, अर्थात्:–

(एक) आवेदक का नाम, आयु और पता;

(दो) महुआ के कब्जे या बिक्री के लिए, जैसी भी स्थिति हो, आवेदक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति का क्रमांक ;

(तीन) परिवहन किये जाने वाली महुआ की मात्रा;

(चार) किस स्थान से किस स्थान को महुआ परिवहन किया जाएगा;

(पांच) मार्ग जिससे महुआ परिवहन किया जाएगा;

(छः) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके परिसर से महुआ ले जाया जाएगा;

(सात) विक्रेता द्वारा धारित अनुज्ञप्ति का नम्बर; और

(आठ) अवधि जिसके लिए अनुज्ञा का वैध होना आवश्यक है ।

13. (1) नियम 12 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी, उस आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों के सत्यापन के लिए जाँच करेगा और ऐसी अन्य जाँच करेगा जो आवश्यक समझे। यथास्थिति, यदि कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी विनिर्दिष्ट करता है कि आवेदित अनुज्ञा प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है

तो वह प्रति क्विंटल रुपये 50/— संदाय किये जाने पर, प्ररूप 4 में ऐसी अनुज्ञा प्रदान कर सकता है और महुआ के प्रत्येक प्रेषण के लिए अलग—अलग परिवहन अनुज्ञा जारी की जायेगी ।

(2) अनुज्ञा में चार भागों का समावेश होगा, जो निम्न प्रकार बांटे जाएंगे :—

भाग 1 अनुज्ञा जारी करने वाले अधिकारी के अभिलेख में रखा जाएगा।

भाग 2 महुआ पूर्ति करने वाले व्यक्ति को भेज दिया जाएगा।

भाग 3 उस आबकारी अधिकारी को भेज दिया जाएगा जिससे क्षेत्राधिकार में अनुज्ञाधारी के व्यापार का स्थान स्थित है; और

भाग 4 महुआ के प्रेषण के साथ—साथ रहेगा और उसके बाद अनुज्ञाधारी द्वारा रखा जाएगा।

14. महुआ के आयात के लिए किसी व्यक्ति को पास तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह व्यक्ति महुआ के कब्जे और बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता है:

परन्तु यह कि ऐसा पास अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को भी प्रदान किया जा सकता है यदि ऐसा महुआ, सद्भावपूर्वक वैज्ञानिक, शैक्षणिक, कृषि, औषधीय या घरेलू प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना है।

15. महुआ आयात करने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति, कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को महुआ आयात करने हेतु पास के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों का समावेश किया जायेगा, अर्थात्:—

(एक) आयातकर्ता का नाम, आयु और पता;

(दो) महुआ के कब्जे या बिक्री के लिए, जैसी भी स्थिति हो, आवेदक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति का क्रमांक ;

(तीन) अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत या अनुज्ञप्ति के बिना, जैसी भी स्थिति हो, कब्जा के लिए अधिकृत महुआ की मात्रा;

(चार) आयात किए जाने वाले महुआ की मात्रा;

(पांच) स्थान जहाँ से जहाँ पर महुआ आयात किया जाएगा;

(छः) मार्ग जिससे महुआ आयात किया जाएगा;

(सात) प्रयोजन या प्रयोजनों जिसके लिए महुआ आयात किया जाने वाला है;

(आठ) अवधि जिसके लिए अनुज्ञा का वैध होना आवश्यक है;

(नौ) उस व्यक्ति का नाम और पता, जिससे महुआ आयात किया जाना है।

16. (1) नियम 15 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी, आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों की पुष्टि के लिए जाँच करेगा और ऐसी अन्य जाँच करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे। यदि कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी

जैसी भी स्थिति हो, इस बात से संतुष्ट हो जाते है कि आवेदित अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है तो वह रुपये 200/– फीस के भुगतान किये जाने पर, प्ररूप 4 में ऐसी अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

(2) अनुज्ञा में चार भागों का समावेश होगा, जो निम्न प्रकार बांटे जाएंगे :–

भाग 1 अनुज्ञा जारी करने वाले अधिकारी के अभिलेख में रखा जाएगा;
भाग 2 उस व्यक्ति को भेजा जाएगा जिससे महुआ आयात किया जाना है;
भाग 3 उस स्थान के आबकारी अधिकारी को भेज दिया जाएगा जहाँ से महुआ आयात किया जाने वाला है;
भाग 4 आवेदक को सौंप दिया जाएगा और वह आयात के अन्तर्गत प्रेषण के साथ रहेगा और उसके बाद आवेदक के पास रहेगा।

17. महुआ के निर्यात के लिए कोई भी पास किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति महुआ के कब्जे या बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति धारित नहीं करता है या महुआ खरीदने के लिए अनुज्ञा धारित नहीं करता है।

18. महुआ निर्यात करने की इच्छा करने वाला कोई व्यक्ति, कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को ऐसे महुआ के निर्यात हेतु, पास के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन–पत्र, आयात प्राधिकार या जिस स्थान में महुआ निर्यात किया जाना है उस स्थान के इस सम्बन्ध में सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ होगा और निम्नलिखित विवरणों का समावेश किया जायेगा, अर्थात्:–

(एक) निर्यातकर्त्ता का नाम, आयु और पता;
(दो) महुआ के कब्जे और बिक्री के लिए आवेदक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति का क्रमांक या उसके द्वारा धारित महुआ खरीदने के लिए अनुज्ञा, यदि कोई हो, तो उसका क्रमांक;
(तीन) निर्यात किए जाने वाले महुआ की मात्रा;
(चार) स्थान जहाँ से और जहाँ को महुआ निर्यात किया जाने वाला है;
(पांच) मार्ग जिस पर से महुआ निर्यात किया जाने वाला है;
(छः) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसको महुआ निर्यात किया जाने वाला है;
(सात) अवधि जिसके लिए पास का वैध होना आवश्यक है; और;
(आठ) आयात प्राधिकार या स्थान जहां महुआ निर्यात किया जाने वाला है उस स्थान के आबकारी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का क्रमांक और दिनांक।

19. (1) नियम 18 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी, आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों की पुष्टि के लिए जाँच करेगा और ऐसी अन्य जाँच करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे। यदि कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, इस बात से सन्तुष्ट हो जाते हैं कि आवेदित अनुज्ञप्ति को प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है तो वह रुपये 100/- प्रति क्विंटल फीस के भुगतान किये जाने पर, प्ररूप 4 में अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

(2) अनुज्ञा में चार भागों का समावेश होगा, जो निम्न प्रकार बांटे जाएंगे :-

भाग 1 अनुज्ञा जारी करने वाले अधिकारी के अभिलेख में रखा जाएगा;

भाग 2 महुआ की पूर्ति करने वाले व्यक्ति को भेजा जाएगा;

भाग 3 उस स्थान के आबकारी अधिकारी को भेज दिया जाएगा जहाँ महुआ निर्यात किया जाने वाला है और जिसने आयात प्राधिकार या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है;

भाग 4 महुआ के प्रेषण के साथ रहेगा और उसके बाद यह उस व्यक्ति द्वारा रखा जा सकता है जिसको महुआ भेजा गया है।

20. उल्लिखित नियमों की कोई भी बात इन नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमत महुआ के परिवहन, बिक्री, खरीदी या कब्जा को लागू नहीं होगी।

21. इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के किसी क्षेत्र में, इन नियमों के समतुल्य प्रभावशील सभी नियम, एतद्द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तु यह कि निरसित किए गए नियमों के अन्तर्गत दिए गए आदेश, जारी की गई अधिसूचनाएँ, प्रदान की गई अनुज्ञप्तियाँ और अनुज्ञाएँ, प्रदत्त शक्तियाँ, की गई कार्यवाही, जहाँ तक वे इन नियमों से असंगत नहीं है, उनका वही प्रभाव रहेगा जैसे कि इन नियमों के अन्तर्गत और इस सम्बन्ध में यहाँ सशक्त प्राधिकारी द्वारा क्रमशः दिए गए, जारी की गई, प्रदान की गई या प्रदत्त की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

प्ररूप 1

[नियम 6 देखें]

महुआ के कब्जा के लिए अनुज्ञप्ति .... को (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट हैं).. फीस के अग्रिम संदाय पर, छत्तीसगढ़ महुआ नियम, 2017 (जो इसमें इसके पश्चात नियमों के रूप में निर्दिष्ट हैं) और उसके अन्तर्गत दिए गए आदेशों के अन्तर्गत और प्रावधानों के अधीन.....................में (जो इसमें इसके पश्चात उक्त परिसर के रूप में निर्दिष्ट हैं) उसको महुआ पर कब्जा रखने के लिए प्राधिकृत करते हुए.. से प्रारम्भ होने वाली............................. तक की अवधि के दौरान (दोनों दिन शामिल) निम्नलिखित शर्तों के अधीन, एतद्द्वारा, अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, अर्थात्ः–

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी अपने कब्जे में किसी एक समय में 500 क्विंटल महुआ से अधिक नहीं रखेगा। किसी वर्ष/कैलेन्डर माह के दौरान.........................क्विंटल से अधिक प्राप्त या उपयोग नहीं करेगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी, उक्त परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थान में महुआ भण्डारण नहीं करेगा या नहीं रखेगा।
3. (एक) अनुज्ञप्तिधारी, नीचे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय, किसी अन्य प्रयोजन के लिए महुआ का उपयोग नहीं करेगाः–
   (यहां प्रयोजन या प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट करें)
   (दो) अनुज्ञप्तिधारी किसी महुआ को किसी को नहीं बेचेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी, उस महुआ के सिवाय जो कि छत्तीसगढ़ महुआ नियम, 2017 के अन्तर्गत उसके द्वारा खरीदा या आयात किया गया है, इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत अन्य महुआ का कब्जा नहीं रखेगा और न उपयोग करेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्ररूप में दिन प्रति दिन का सही और सत्यतापूर्ण हिसाब रखेगा। हिसाब, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी की मुद्रा से मुद्रांकित और पृष्ठांकित पुस्तक में साफ–साफ लिखा जाएगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी.............................. के आबकारी अधिकारी को जिसमें उक्त परिसर स्थित है, प्रत्येक माह के पाँचवें दिवस तक आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्ररूप में विवरणी प्रस्तुत करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी का परिसर, टंकी और अन्य बर्तन जो उसके द्वारा महुआ भण्डारण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और शर्त 5 के अन्तर्गत उसके द्वारा रखा गया हिसाब, सभी उचित समयों में, आबकारी आयुक्त, डिप्टी कमिश्नर (एक्साइज), असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर, जिला के आबकारी अधिकारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी उपनिरीक्षक के द्वारा जाँच के लिए खुला रहेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी, महुआ के भंडारण के लिए परिसर, टंकियाँ और अन्य बर्तनों को साफ और अच्छी स्थिति में रखेगा।

9. केवल कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना, अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति द्वारा उसको प्रदत्त अधिकार को नहीं बेचेगा, हस्तान्तरित नहीं करेगा या उप पट्टे पर नहीं देगा और न वह उक्त अधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई अनुबंध या प्रबंध नहीं करेगा जो कि कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी की राय में उपपट्टे की प्रकृति में है। यदि ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या कोई अनुबंध या प्रबंध उपपट्टे की प्रकृति का है तो उस प्रश्न पर कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम और अनुज्ञप्तिधारी के लिए बन्धनकारी होगा।

10. इस अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी के भागीदार के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के पूर्व भागीदारी कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी को सूचित नहीं कर दी जाती है और भागीदारों का नाम अनुज्ञप्ति में संयुक्त रूप से अंकित नहीं कर दिया जाता है या यदि इस अनुज्ञप्ति के प्रदान किए जाने के बाद भागीदारी में प्रवेश किया जाता है तो जब तक कि कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी उसको अनुज्ञप्ति में परिवर्तन करने और अनुज्ञप्ति में भागीदार या भागीदारों के नाम या नामों को जोड़ने के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर सहमत नहीं हो जाता है।

11. अनुज्ञप्तिधारी उसी परिसर में अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले अधिकारी की मुद्रा से मुद्रांकित और पृष्ठांकित निरीक्षण पुस्तिका रखेगा, जिसमें यात्रा करने वाला अधिकारी उक्त परिसर का निरीक्षण करते समय कोई टिप्पणी अभिलिखित कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति की अवधि के अन्त होने पर उक्त पुस्तिका, हिसाब और अनुज्ञप्ति उस आबकारी अधिकारी को दे देगा जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त परिसर स्थित है।

12. अनुज्ञप्तिधारी सभी नियमों, आदेशों या निर्देशों का पालन करेगा जो राज्य शासन या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन 1915) या उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति के प्रभावशील रहने के दौरान समय–समय पर बनाए जाएँ या जारी किए जायें।

13. अनुज्ञप्तिधारी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसका छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाई गई आबकारी नीति को असफल करने या व्यर्थ करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर हो।

14. अनुज्ञप्तिधारी, उसके उत्तराधिकारियों, वैधानिक प्रतिनिधियों या समनुदेशितों (पानेवालों) का उस अवधि के समाप्त होने के बाद जिसके लिए यह प्रदान किया गया है, इस अनुज्ञप्ति के जारी रखने या नवीनीकरणों के लिए कोई भी दावा, जैसा भी हो, नहीं रहेगा। यह पूर्णतया कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी के स्वविवेक के अधीन होगा कि बिक्री या हस्तान्तरण की दशा में अनुज्ञप्ति के धारक के समनुदेशिती को (Assignee) या मृत्यु की दशा में अनुज्ञप्ति के धारक के उत्तराधिकारी या वैधानिक प्रतिनिधि को अवधि के समाप्त न हुए भाग के लिए जिसके लिए यह प्रदान की गई है, अनुज्ञप्ति का लाभ लेने के लिए अनुमति दी जाय या नहीं।

15. इस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन 1915) के किन्हीं प्रावधानों या उनके अन्तर्गत बने छत्तीसगढ़ महुआ नियम, 2017 के किन्हीं प्रावधानों के उल्लंघन पर अनुज्ञप्ति, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रद्द की जा सकती है।

16. अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर या रद्द किए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी शीघ्र ही कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी को महुआ की बचत, जो उसके पास हो, की सूचना देगा और अनुज्ञप्ति के समाप्त होने या रद्द किए जाने के दिनांक के पन्द्रह दिनों के अन्दर, प्ररूप 2 में अनुज्ञप्ति धारित करने वाले किसी अन्य अनुज्ञप्त खरीददार को थोक में बेचने का प्रबन्ध करेगा। कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदान की गई प्ररूप 4 में अनुज्ञा के अन्तर्गत के सिवाय, बचत को ऐसे अनुज्ञप्त विक्रेता के परिसर में हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।

दिनांक ....

कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी की सील

हस्ताक्षर——————————

पद——————————

प्ररूप 2

[नियम 6 देखें]

क्रमांक---------

महुआ की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति.. को (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट है)...फीस के अग्रिम संदाय पर, छत्तीसगढ़ महुआ नियम, 2017 (जो इसमें इसके पश्चात नियमों के रूप में निर्दिष्ट है) और उसके अन्तर्गत दिए गए आदेशों के अन्तर्गत और प्रावधानों के अधीन............................ में (जो इसमें इसके पश्चात उक्त परिसर के रूप में निर्दिष्ट है) उसको महुआ कब्जा रखने और बेचने के लिए प्राधिकृत करते हुए............................... से प्रारम्भ होने वाली...................... तक की अवधि के दौरान (दोनों दिन शामिल) निम्नलिखित शर्तों के अधीन, एतद्द्वारा, अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, अर्थात्:–

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति के प्रभावशील रहने के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिक्री महुआ की कुल मात्रा, महुआ के बिना बिके अतिशेष सहित किसी भी समय.................... से अधिक नहीं होगी।
2. अनुज्ञप्तिधारी, उक्त परिसर के सिवाय अन्य स्थान में महुआ भण्डारण नहीं करेगा या नहीं रखेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी बिक्री के सिवाय अन्य प्रयोजन के लिए महुआ का उपयोग नहीं करेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी छत्तीसगढ़ महुआ नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा एकत्रित किए गए, खरीदे गए या आयात किए गए महुआ के सिवाय, इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत कोई महुआ का कब्जा नहीं रखेगा और न बेचेगा।
5. **(क)** अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, एक दिन में एक ही व्यक्ति को 5 कि.ग्रा. से अधिक महुआ नहीं बेचा जाएगा।

   (ख) छत्तीसगढ़ से बाहर महुआ की बिक्री, आयात प्राधिकार या स्थान जहाँ महुआ भेजा जाना है उस स्थान के सम्यक् रूप से अधिकृत अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र और छत्तीसगढ़ महुआ नियम, 2017 के अन्तर्गत उसकी खरीदी और निर्यात के लिए वैध अनुज्ञाएँ धारित करने वाले व्यक्ति को ही की जाएगी।
6. अनुज्ञप्तिधारी, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना, 11.00 बजे पूर्वान्ह (मानक समय) के पूर्व या 05.00 बजे अपरान्ह (मानक समय) के बाद महुआ की, कोई बिक्री नहीं करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी, इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्ररूप में दिन प्रतिदिन सही और सत्यतापूर्ण हिसाब रखेगा। अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले अधिकारी की मुद्रा से मुद्रांकित एवं पृष्ठांकित पुस्तिका में साफ–साफ लिखा जाएगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी......................... के आबकारी अधिकारी को जिसमें उक्त परिसर है, प्रत्येक माह के पाँचवें दिन तक, आबकारी आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट प्ररूप में विवरणी प्रस्तुत करेगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी का परिसर, टंकी और अन्य बर्तन जो उसके द्वारा महुआ भण्डारण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और शर्त 5 के अन्तर्गत उसके द्वारा रखा गया हिसाब, सभी उचित समयों में, आबकारी आयुक्त, डिप्टी कमिश्नर (एक्साइज), असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर, जिला के आबकारी अधिकारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी उपनिरीक्षक के द्वारा जाँच के लिए खुला रहेगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी, महुआ के भण्डारण के लिए परिसर, टंकियाँ और अन्य बर्तनों को साफ और अच्छी स्थिति में रखेगा।

11. केवल कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना, अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति द्वारा उसको प्रदत्त अधिकार को नहीं बेचेगा, हस्तान्तरित नहीं करेगा या उप–पट्टे पर नहीं देगा और न वह उक्त अधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध या प्रबन्ध नहीं करेगा जो कि कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी की राय में उपपट्टे की प्रकृति में है। यदि ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या कोई अनुबन्ध या प्रबन्ध उपपट्टे की प्रकृति का है तो उस प्रश्न पर कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम और अनुज्ञप्तिधारी के लिए बन्धनकारी होगा।

12. इस अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी के भागीदार के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के पूर्व भागीदारी कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी को सूचित नहीं कर दी जाती है और भागीदारों का नाम अनुज्ञप्ति में संयुक्त रूप से अंकित नहीं कर दिया जाता है या यदि इस अनुज्ञप्ति के प्रदान किए जाने के बाद भागीदारी में प्रवेश किया जाता है तो जब तक कि कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी उसको अनुज्ञप्ति में परिवर्तन करने और अनुज्ञप्ति में भागीदार या भागीदारों के नाम या नामों को जोड़ने के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर सहमत नहीं हो जाता है।

13. अनुज्ञप्तिधारी उसी परिसर में अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले अधिकारी की मुद्रा से मुद्रांकित और पृष्ठांकित निरीक्षण पुस्तिका रखेगा, जिसमें यात्रा करने वाला अधिकारी उक्त परिसर का निरीक्षण करते समय कोई टिप्पणी अभिलिखित कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति की अवधि के अन्त होने पर उक्त पुस्तिका, हिसाब और अनुज्ञप्ति उस आबकारी अधिकारी को दे देगा जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त परिसर स्थित है।

14. अनुज्ञप्तिधारी सभी नियमों, आदेशों या निर्देशों का पालन करेगा जो राज्य शासन या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन 1915) या उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति के प्रभावशील रहने के दौरान समय–समय पर बनाए जाएँ या जारी किए जायें।

15. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के प्रभावशील रहने के दौरान समय–समय पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन 1915) या उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए या जारी किए गए सभी नियमों, आदेशों या निर्देशों का पालन करेगा।

16. अनुज्ञप्तिधारी, कथित परिसर में सुदृश्य स्थान में हिन्दी में सुपाठ्य ढंग से निम्नलिखित बातें धारित करने वाला साइन बोर्ड प्रदर्शित करेगा––

    अनुज्ञप्तिधारी का नाम, आयु और पता
    महुआ बेचने के लिए अनुज्ञप्त––
    प्राधिकृत खुलने का समय–– 11 बजे पूर्वान्ह (मानक समय)
    प्राधिकृत बंद करने का समय–– 05 बजे अपरान्ह (मानक समय)

17. अनुज्ञप्तिधारी अपनी दुकान के व्यापार का कार्य चाहे व्यक्तिगत करे या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसे आबकारी अधिकारी द्वारा, जो आबकारी उपनिरीक्षक से कम स्तर का न हो, हस्ताक्षरित और प्रतिहस्ताक्षरित लिखित नौकरनामा द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्त्ता या नौकर द्वारा करेगा, परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा कोई नौकरनामा अवैधानिक नहीं होगा जब तक कि प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत न कर दिया गया हो। यदि किसी कारण से कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किया गया कोई नौकरनामा को वापसी का आदेश दिया जाता है तो नौकरनामा तुरन्त वापस लिया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक नौकरनामा के लिए अनुज्ञप्तिधारी शासन को एक रुपये 50/- फीस का भुगतान किया जायेगा। कोई भी नौकरनामा 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जारी नहीं किया जाएगा और ऐसा जारी किया गया कोई भी नौकरनामा वैध नहीं होगा।

18. अनुज्ञप्तिधारी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिसका छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाई गई आबकारी नीति को असफल या व्यर्थ करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर हो।

19. अनुज्ञप्तिधारी, उसके उत्तराधिकारियों, वैधानिक प्रतिनिधियों या समनुदेशितों का उस अवधि के समाप्त होने के बाद, जिसके लिए यह प्रदान किया गया है, इस अनुज्ञप्ति के जारी रखने या नवीनीकरणों के लिए कोई भी दावा, जैसा भी हो, नहीं रहेगा। यह पूर्णतया जिला के आबकारी अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के स्वविवेक के अधीन होगा कि बिक्री या हस्तान्तरण की दशा में अनुज्ञप्ति के धारक के समनुदेशिती (Assignee) को या मृत्यु की दशा में अनुज्ञप्ति के धारक के उत्तराधिकारी या वैधानिक प्रतिनिधि को अवधि के समाप्त न हुए भाग के लिए जिसके लिए यह प्रदान की गई है, अनुज्ञप्ति का लाभ लेने के लिए अनुमति दी जावे या नहीं।

20. इस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र.2 सन् 1915) के प्रावधानों या उनके अन्तर्गत बने छत्तीसगढ़ महुआ नियम, 2017 के किन्हीं प्रावधानों के उल्लंघन किए जाने पर, अनुज्ञप्ति जारीकर्त्ता अधिकारी द्वारा रद्द की जा सकती है।

21. अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर या रद्द किए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी शीघ्र ही जिला के आबकारी अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को महुआ की बचत, जो उसके पास हो, की सूचना देगा और अनुज्ञप्ति के समाप्त होने या रद्द किए जाने के दिनांक के पन्द्रह दिनों के अन्दर प्ररूप 2 में अनुज्ञप्ति धारित करने वाले किसी अन्य अनुज्ञप्त खरीददार को थोक में बेचने का प्रबन्ध करेगा। जिला के आबकारी अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदान की गई प्ररूप 4 में अनुज्ञा के अन्तर्गत के सिवाय, बचत को ऐसे अनुज्ञप्त विक्रेता के परिसर में हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।

दिनांक ....

जिला आबकारी अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी की सील **हस्ताक्षर————————**

पद————————

प्ररूप 3
[नियम 11 देखें]
महुआ की खरीदी के लिए अनुज्ञा

दिनांक..........

अनुज्ञा क्रमांक..........

यह अनुज्ञा.................................. जिला की.............................. तहसील के.......................... में महुआ के कब्जे और बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति क्र...................को धारित करने वाले................. निवासी.. को .... फीस के संदाय पर........................ जिला की.......... तहसील के.................में महुआ खरीदने और खरीदी के स्थान से अपनी अनुज्ञप्त दुकान.............. में मार्ग................................ से परिवहन करने के लिए छत्तीसगढ़ महुआ नियम, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकृत करते हुए, यह अनुज्ञा दी जाती है।

यह अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है––

(1) अनुज्ञाधारी, आबकारी कर्मचारी के ऐसे खर्च को अग्रिम में भुगतान करेगा जैसा कि कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी महुआ के प्रेषण के लिए सुरक्षा बल के प्रबन्ध करने में आवश्यक समझे।

(2) महुआ के प्रेषण का अम्बार, परिवहन में नहीं खोला जाएगा।

यह अनुज्ञा...................... के सूर्यास्त तक वैध होगा।

कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी

प्ररूप 4
[नियम 13 देखें]
महुआ के परिवहन के लिए अनुज्ञा

अनुज्ञा क्रमांक.......... दिनांक..............

1. अनुज्ञाधारी का नाम और पता।
2. महुआ के कब्जा और बिक्री के लिए अनुज्ञाधारी द्वारा धारित अनुज्ञप्ति का क्रमांक।
3. महुआ परिवहित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम।
4. परिवहन किए जाने वाले महुआ की मात्रा।
5. स्थान जहाँ से जहाँ पर महुआ स्थानान्तरित किया जाने वाला है।
6. मार्ग जिसके द्वारा महुआ परिवहन किया जाने वाला है।
7. उस अनुज्ञप्तिधारी का नाम जिससे महुआ खरीदा जाना है और अनुज्ञप्ति का क्रमांक।
8. अवधि जिसके लिए अनुज्ञा वैध होगी।

यह अनुज्ञा ....फीस के संदाय पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी–

(1) अनुज्ञाधारी, आबकारी कर्मचारी के ऐसे खर्च को अग्रिम में भुगतान करेगा जैसा कि कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी महुआ के प्रेषण के लिए सुरक्षा दल के प्रबन्ध करने में आवश्यक समझे।

(2) महुआ के प्रेषण का अम्बार, परिवहन में नहीं खोला जाएगा।

(3) अनुज्ञाधारी, और महुआ के परिवहन के सम्बन्ध में सभी आदेशों और निर्देशों, जो उसको, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए जायें, का शीघ्रता से पालन करेगा।

कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी
(अनुज्ञा जारी करने वाला)

प्ररूप 5
[नियम 16 देखें]

महुआ के आयात के लिए अनुज्ञा

दिनांक..............

पास क्रमांक..........

1. पास–धारक का नाम और पता।
2. महुआ आयात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम।
3. आयात किए जाने वाले महुआ की मात्रा।
4. स्थान जहाँ से जहाँ पर महुआ आयात किया जाता है।
5. मार्ग जिस पर से महुआ आयात किया जाना है।
6. उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे महुआ आयात किया जाने वाला है।
7. अवधि जिसके लिए अनुज्ञा वैध होगी।

कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी
(अनुज्ञा जारी करने वाला)

प्ररूप 6
[नियम 18 देखें]
महुआ के निर्यात के लिए अनुज्ञा

दिनांक...............

पास क्रमांक..........

1.पास–धारक का नाम और पता।
2.महुआ निर्यात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम।
3.निर्यात किए जाने वाले महुआ की मात्रा।
4.स्थान जहाँ से जहाँ पर महुआ निर्यात किया जाता है।
5.मार्ग जिस पर से महुआ निर्यात किया जाना है।
6.उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे महुआ निर्यात किया जाने वाला है।
7.अवधि जिसके लिए अनुज्ञा वैध होगी।

कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी
(अनुज्ञा जारी करने वाला)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.